



2026:AHC:125038

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध ज़मानत आवेदन संख्या - 19300/2026

लाल बहादुर पटेल

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....विपक्षीगण

आवेदक के अधिवक्ता : दीपेंद्र कुमार त्रिपाठी, त्रयंबक नाथ मिश्रा

विपक्षीगण के अधिवक्ता : जी०ए०

कोर्ट नंबर - 4

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. आज प्रथम सूचना देने वाले की ओर से अधिवक्ता श्री योगेंद्र मिश्रा द्वारा दाखिल वकालतनामा रिकॉर्ड पर लिया गया है।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री दीपेंद्र कुमार त्रिपाठी, शिकायतकर्ता के अधिवक्ता श्री योगेंद्र मिश्रा और राज्य की ओर से ए०जी०ए० श्री डी०पी०एस० चौहान की बातें सुनीं और रिकॉर्ड देखा।
3. यह ज़मानत अर्ज़ी मुकदमा अपराध संख्या 129/2026 बी०एन०एस० की धारा 103(1) (पुरानी धारा 302 आई०पी०सी०), थाना-फूलपुर, ज़िला-प्रयागराज के मुकदमे की सुनवाई के दौरान आवेदक को ज़मानत पर रिहा करने की गुज़ारिश के साथ दायर की गई है।
4. आवेदक के अधिवक्ता ने बताया कि 23.04.2026 को एफ०आई०आर० दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि नामजद आरोपियों ने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ

मिलकर मृतका की हत्या कर दी और उसके शव को पेड़ से लटका दिया; बाद में जांच के दौरान खुशबू (मृतका की छोटी बहन) और सुरेंद्र (मृतका के भाई) के बयान दर्ज किए गए, जिसमें उन्होंने बताया कि 22.04.2026 की रात को उन्होंने सह-आरोपी मोनिश पटेल को मृतका के साथ हाथापाई करते और उसका गला घोटने की कोशिश करते देखा था। हालाँकि, जब उन्होंने बीच-बचाव करने की कोशिश की, तो मृतका ने खुद कहा कि यह सह-आरोपी मोनिश पटेल के साथ उसका निजी मामला है और वे इसमें दखल न दें। इसके बाद, वे वहाँ से चले गए और अगले दिन उन्हें मृतक का शव मिला। आवेदक के अधिवक्ता ने कहा कि आवेदक मोनिश पटेल के पिता हैं और उन पर कोई खास आरोप नहीं लगाया गया है, सिवाय इस आरोप के कि वे घटना वाली जगह के पास खेत में मौजूद थे। साथ ही यह भी बताया गया कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि इस मामले में आरोप पत्र दाखिल की जा चुकी है, इसलिए हिरासत में पूछताछ की कोई ज़रूरत नहीं है। आवेदक कानून का पालन करने वाला नागरिक है और 24.04.2026 से जेल में बंद है। अगर उसे ज़मानत मिलती है, तो वह ज़मानत की आज़ादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और ट्रायल की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

5. इसके विपरीत, विद्वान ए0जी0ए0 और शिकायतकर्ता के अधिवक्ता ने ज़मानत की अर्ज़ी का ज़ोरदार विरोध किया, लेकिन वे ऊपर बताई गई बातों को नकार नहीं सके।

6. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों, अपराध की प्रकृति, सबूतों और आरोपी की भूमिका को ध्यान में रखते हुए, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मानना है कि आवेदक ज़मानत पाने का हकदार है। इसलिए, ज़मानत की अर्ज़ी **मंज़ूर** की जाती है।

7. ऊपर बताए गए अपराध में शामिल आवेदक **लाल बहादुर पटेल** को ज़मानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह संबंधित अदालत की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का एक व्यक्तिगत मुचलका और दो ज़मानतदार पेश करे, और साथ ही निम्नलिखित शर्तों का पालन करे:-

i. आवेदक मामले की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को सीधे या परोक्ष रूप से कोई लालच, धमकी या वादा नहीं देगा, जिससे वह व्यक्ति अदालत या किसी पुलिस अधिकारी को वे तथ्य बताने से रुके या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करे।

ii. आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए मुकदमे/जांच में ईमानदारी से सहयोग करेगा।

iii. जमानत पर रिहा होने के बाद आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि या अपराध में शामिल नहीं होगा।

iv. आवेदक अपने द्वारा भरे गए बंधपत्र की शर्तों के अनुसार पेश होगा।

8. ऊपर बताई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

9. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पहले, संबंधित अदालत को आवेदक और जमानत देने वालों की पहचान, हैसियत और निवास के प्रमाण की पुष्टि करनी चाहिए।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इस आदेश की कंप्यूटर जनित प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की गई हो और संबंधित अधिवक्ता द्वारा सत्यापित की गई हो, साथ ही यह वचन भी दिया जाए कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर जमा कर दी जाएगी।

11. इसके अलावा यह निर्देश दिया जाता है कि ट्रायल कोर्ट, आवेदक की जल्द रिहाई सुनिश्चित करने के लिए 'जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली' (बी0ओ0ए0एस0) के ज़रिए संबंधित जेल को रिहाई का आदेश भेजे।

12. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह संदर्भ: स्वतः संज्ञान रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4/2021 में जमानत देने की नीति रणनीति, जो (2024) 10 एससीसी 685 में रिपोर्ट किया गया है, के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 31.01.2023 के आदेश और रिट याचिका

(आपराधिक) संख्या 169/2025 में पिला पहन @ पीला पाहन और अन्य बनाम झारखंड राज्य और अन्य, के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 29.05.2026 के आदेश, का पालन करते हुए, इस आदेश की एक प्रति संबंधित जेल अधीक्षक के ज़रिए 24 घंटे के भीतर ईमेल या ई-जेल पोर्टल से आवेदक को और ई-मोड के माध्यम से विचारण न्यायालय को भेजे।

(अरुण कुमार सिंह देशवाल, न्यायमूर्ति)

3 जून, 2026